आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

भूमि विवाद निराकरण अपीलवाद सं0–351/2023

चंद्रिका महतो

बनाम्

रामजी प्रसाद

आदेश

09.02.2024

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को वाद के ग्रहण के बिन्दु पर विस्तारपूर्वक सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत भूमि R.S. खतियान में उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज है। उनका आगे यह भी कथन है कि वर्तमान वाद में विपक्षी के पूर्वज द्वारा अंचल कार्यालय, गोरेयाकोठी से गलत तरीके से उक्त भूमि का जमाबंदी अपने नाम से कराते हुए लगान निर्धारण करा लिया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि खतियानी भूमि का लगान रशीद निर्गत किया जाना गलत है, जिसे रद्द किए जाने की आवश्यकता है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्क एवं याचिका में वर्णित स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई अनुतोष के निराकरण हेतु अलग से कानूनी प्रावधान के रूप में **The Bihar Land Mutation Act, 2011** है। उक्त प्रावधान के तहत् ही वादी के वाद का निस्तार किया जा सकता है एवं इसके लिए **The Bihar Land Mutation Act, 2011** के नियम 9 के तहत संबंधित जिला के अपर समाहर्त्ता को सक्षम प्राधिकार घोषित है।

अतः उपरोक्त वर्णित कारणों से प्रस्तुत वाद को सुनवाई योग्य नहीं पाते हुए उसका निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with OKEN Scanner